

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 10.9.20
22.10.20 10.9.20	पञ्चानन-पेशी वगुलाम - उफग पञ्चानन वरस हेतु डिन 22.10.20 को पेशी को उपरखण्ड अधिकारी खीवस (नागौर)
26.11.20	पञ्चानन-पेशी वगुलाम - उफग पञ्चानन वरस हेतु डिन 26.11.20 को पेशी को उपरखण्ड अधिकारी खीवस (नागौर)
9.12.20	पञ्चानन-पेशी वगुलाम उफग मुल ज. पञ्चानन-वरस मुनी गडो पञ्चानन-वरस हेतु डिन 9.12.20 को पेशी को उपरखण्ड अधिकारी खीवस (नागौर)

Presented
By Adm. MSR
10/9/20
FORM-1
[See rule-68]

APPLICATION FOR PERMISSION UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 251A OF THE RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955

To,
The Sub Divisional Officer,
Sub Divisional, Khinwsar
District- Nagaur

Sir,
(i) I/We am/are khatedar tenant(s) holding land in your sub division intend to lay an underground pipe line/new way enlargement to go existing way through the

- (1) चतराराम पुत्र राजूराम के काय
- (1/1) मूलाराम पुत्र चतराराम
- (1/2) रामदेवराम पुत्र चतराराम
- (1/3) केशुदेवी वगो चतराराम
- नामम जातियान जाट निवासी
- पिपलिया तहसील खीवसर जिल

for the purpose of irrigation/access in my/our holding apply for permission under sub section (2) of section 251A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(ii) The require particulars are given below-

(a) Name percentage and of the applicant(s)

Name - कानाराम पुत्र हेमाराम
चूनाराम पुत्र हेमाराम

Father's name हेमाराम

(b) Full address of applicant(s)-
Village पिपलिया

Tehsil पिपलिया District खीवसर

(c) Particulars of applicant holding -
(i) Name of village with of sub division holding is situated. पीप




5107412

आदेश


प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाष्ठ का खेत प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काष्ठ की मि एवं ढाणी बाड़े में आवागमन के लिए अप्रार्थी के खेत ख.न. 3078/2009 रकबा 4.14 बीघा खेत की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे प्रार्थीगण के खेत पश्चिमी माठ तक नजरी नक्शा 18 फुट रास्ते के रूप में आगे कटाणी रास्ता तक घोषित किया जाता है तथा उक्त रास्ता नजरी नक्शे दर्शाये ए से बी तक 18 फुट चौड़ा रास्ता तक रास्ते के रूप में राजहक में घोषित प्रार्थीगण एवं अन्य के उपयोग एवं उपभोग करने के लिए एवं सार्वजनिक रास्ता घोषित किया है ।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को प्रभावित रकबा 00.00.19 विश्वांसी कि डीएलसी की दर से अर्थात्/- रुपये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को को देय करेंगे। अगर अप्रार्थीगण उक्त प्राप्त नहीं करते हैं तो प्रार्थीगण उक्त राशि तहसीलदार खीवसर के पास जमा करायेगे। तहसीलदार खीवसर अप्रार्थीगण को उक्त राशि का भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में न किया जावे। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा। यह एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

उपरोक्त खसरा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो और उक्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो, उक्त खसरा रहन मुक्त एवं स्थगन आदेश से मुक्त होने के प्रश्चात उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। उक्त प्रकरण में आप द्वारा उपरोक्त की डीएलसी दर आपके द्वारा नहीं भेजी गई है अतः आप प्रभावित रकबे की डीएलसी दर से प्रभावित रकबा 00.00.19 विश्वांसी की राशि निकालकर, इसकी दुगुनी कर, दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी से अप्रार्थी को करावे, उसके प्रश्चात आदेश की पालना हो।


राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खीवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक 09.12.20 को सरे इजलास सुनाया गया ।


राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खीवसर